महत्वपूर्ण/नीति विषयक

संख्या-३२०/नौ-४-२०-३५ज/२०१०

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-४ लखनऊ दिनांक- ८ मई २०२०

विषय- उत्तर प्रदेश के नागर निकायों के कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली २०१६ को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-८१२/नौ-४-१६-३५ज/२०१० दिनांक २८.०९.२०१६ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चिकित्सा विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली २०११ एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली २०१४ को अंगीकृत किया गया है।

२- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या-२२७५/५-६-११-१०८२/१९८७ दिनांक २०.०९.२०११ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, २०११ प्रख्यापित की गयी है तथा चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या-४७४/पांच-६-१४-१०८२/१९८७ टी.सी. दिनांक ०४.०३.१४ द्वारा उक्त नियमावली, २०११ में (प्रथम संशोधन) तथा अधिसूचना संख्या-३६५/२०१६/३१२४/पांच/२०१६-१९जी/१६ दिनांक २७.१२.२०१६ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, २०१६ प्रख्यापित की गयी।

३- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों के कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उक्त शासनादेश संख्या ८१२/नौ-४-१६-३५ज/२०१० दिनांक २८.०९.२०१६ के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली २०१६ को अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-३२०/नौ-४-२०-३५ज/२०१० एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय उ०प्र०।
२- समस्त अनुभाग नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन।
३- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in